


उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-10
संख्या-२६६१/१-१०-२०१२-३३(३९७)/१२
लखनऊ :: दिनांक: १५ अक्टूबर, २०१२

(४०)

आहरण वितरण अधिकारी,
राहत आयुक्त संगठन, उत्तर प्रदेश शासन

राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की दिनांक: 26.09.2012 को सम्पन्न बैठक के एजेण्डा बिन्दु/मद संख्या-०७ पर लिए गए निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राजस्व अनुभाग-10/11 एवं राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष के कम्प्यूटरीकरण/सुदृढ़ीकरण एवं आवश्यक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालन/ बनाए रखने हेतु राहत आयुक्त के निर्वतन पर रखे जाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-५१ के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-०५-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-८००-अन्य व्यय-०३-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-४२-अन्य व्यय" में प्राविधानित धनराशि में से रु० 10,00,000/- (रु० दस लाख मात्र) आपको आवंटित की जाती है।


(एल० वेंकटेश्वररौ)
सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या-२६६१ (१) / १-१०-२०१२-३३(३९७) / ११ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— महालेखाकार—लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2— वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन।
- 3— मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4— वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-५
- 5— गार्ड फाइल/राजस्व अनुभाग-६/११/समीक्षा अधिकारी लेखा।

२१

आज्ञा से

Rao.

(आर० एन० द्विवेदी)

अनुसचिव

१